

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी/3-14/06/3/एक,

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
 अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश गवालियर,
 समस्त विभागाध्यक्ष,
 समस्त संभागाध्यक्ष,
 समस्त जिलाध्यक्ष,
 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
 मध्यप्रदेश.

विषय :—बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत.

संदर्भ—सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एक ए 10-18/88/49/एक, दिनांक 2-12-88 ज्ञापन क्रमांक सी/3-18/94/3/एक, दिनांक 12-12-1994 एवं ज्ञापन क्रमांक सी/3-7/95/3/एक, दिनांक 5 जून, 1995.

उपर्युक्त विषयक इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संदर्भित आदेशों को निरसित करते हुए निम्नानुसार एकजारी आदेश जारी किये जाते हैं :—

- (एक) जब किसी एक विभाग को किसी दूसरे विभाग से शासकीय सेवक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेना हो तो उसे संबंधित विभाग से कम से कम तीन अधिकारियों के नामों का पैनल, मय गोपनीय प्रतिवेदन मूल्यांकन पत्रक तथा विभागीय जांच आदि की जानकारी मंगाना चाहिए।
- (दो) संबंधित विभाग को चाहिए कि वह यदि अपने लोक सेवक की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने को सहमत हो तो उक्त जानकारी व्यापारी संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएं।
- (तीन) उक्त पैनल के आधार पर उपयुक्त लोक सेवक के चयन उपरांत चयनित लोक सेवक की सेवाएं कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर ली जाना चाहिए।
- (चार) विभाग लोक सेवक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर देने के लिए सहमत हो तो ही सेवाएं लेने वाले विभाग की सहमति पश्चात एवं पैनल चयन होने पर संबंधित लोक सेवक की सेवाएं सौंपने हेतु औपचारिक आदेश जारी करना चाहिए। आदेश में यह स्पष्ट टीप अंकित करना चाहिए कि सेवाएं लेने वाले विभाग पदस्थापन के औपचारिक आदेश शीघ्र जारी करें। पदस्थापना आदेश जारी होने के पश्चात् ही शासकीय सेवक को पैतृक विभाग द्वारा कार्यमुक्त किया जाएं।
- (पांच) यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाना हो तो दोनों विभागों का आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। परन्तु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर सेवा लेने वाले विभाग द्वारा करणों का उल्लेख करते हुए समय पूर्व सेवाएं वापस की जा सकेंगी।

2. इसके पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी/3-18/94/3/एक, दिनांक 12-12-94 के निर्देश अनुसार 4 वर्ष से अधिक के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाए जाने संबंधी प्रकरणों को समन्वय में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस विभाग में अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा जिस विभाग से सेवाएं ली गई हैं उन दोनों विभागों की सहमति होने पर विभाग स्तर पर ही निर्णय ले लिया जाएं। अब ऐसे मामले समन्वय में न भेजे जाकर इनका निराकरण उक्तानुसार सुनिश्चित किया जावे।

3. प्रतिनियुक्ति के संबंध में उक्त मार्गदर्शीय सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाये।
4. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
5. यह प्रतिनियुक्ति की नीति शासकीय विभागों के अलावा निगमों/मंडलों/प्राधिकरणों या अन्य स्वायत संस्थाओं के लिए भी लागू होगी।

हस्ता/—

(अकीला हशमत)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग,

 अकीला
 मध्यप्रदेश शासन
 29 फरवरी 2008

3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र., भोपाल।
 4. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।
 5. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/वालियर/इन्दौर।
 6. प्रमुख सचिव/सेचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
 7. अवर सचिव, स्थापना/अंगीकाण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सत्रालय, भोपाल।
 8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 9. मुख्य मंत्रीजी/उप मुख्य मंत्रीगण/ मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

हस्ता/-
 (एस. सी. पण्ड्या)
 उपसचिव,
 मध्यप्रदेश शासन,
 सामान्य प्रशासन विभाग।

अनुमति
 मध्यप्रदेश शासन
 सचिवालय
 (कक्ष-३)